



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1947 (श10)
(सं0 पटना 1646) पटना, मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर 2025

सं० 4/बि०रा०ना०परि०-01-11/2025 मं०सं०-1091—मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना द्वारा पूर्व में निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से संकल्प संख्या-1353, दिनांक-24.07.2009 के आलोक में सिवान जिला के जिला नागरिक परिषद् का गठन किया जाता है तथा इसमें निम्नांकित रूप से अगले आदेश तक के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को नामित किया जाता है:-

जिला-सिवान

क्र०	पदधारक का विवरण	पद
1.	श्रीमती रेणु देवी, माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार। जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष-सह-प्रभारी मंत्री।	अध्यक्ष
2.	श्री रजनीश कुमार उर्फ मुन्ना कुमार (सोनी) पिता-श्री सुरेश प्रसाद पता-न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स, लखन साह मार्केट, वार्ड न०-22, बड़ी मस्जिद के पास पो०+जिला-सिवान-841226, मो०-8864086621, 6201960769	उपाध्यक्ष
3.	श्री बब्लु प्रसाद उर्फ बब्लु चौहान मुहल्ला- पटवा टोली, सिवान सदर, पिन कोड- 841226 मो०- 9801819000	सदस्य
4.	श्रीमती निभा सिंह मुहल्ला- रामदेव नगर, सिवान नगर, पिन कोड- 841226 मो०- 7779967583	सदस्य
5.	श्री राजकुमार गौतम उर्फ पप्पु चमार ग्राम- भटवलिया, सिवान सदर, मो०- 8539940929	सदस्य

क्र०	पदधारक का विवरण	पद
6.	श्री उमेश ठाकुर ग्राम- हरपुर कोटवा, हसनपुरा, मो०- 8873559309	सदस्य
7.	श्री संजय कुमार सिंह ग्राम- बंगरा, तितरा, जिरादेई, सिवान, मो०- 9911119799	सदस्य
8.	मो० सैयद नजमुल होदा ग्राम- खवाशपुर, लकडी नवीगंज, मो०- 9801598890	सदस्य

2. शेष रिक्तियों पर मनोनयन बाद में किया जायेगा।
 3. जिला नागरिक परिषद् के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्य विभागीय संकल्प संख्या-1353, दिनांक-24.07.2009 के निहित प्रावधान के अनुसार निम्नवत् हैं :-

- (i) जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष-सह-प्रभारी मंत्री-अध्यक्ष
- (ii) जिला के सभी लोक सभा सदस्य-पदेन सदस्य
- (iii) जिला के राज्य सभा के वैसे सदस्य जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो-पदेन सदस्य
- (iv) जिला के विधान सभा के सभी सदस्य-पदेन सदस्य
- (v) जिला के विधान परिषद् के वैसे सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो-पदेन सदस्य
- (vi) जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा जिला मुख्यालय एवं जिला स्थित सभी नगर निगम के महापौर अथवा नगर निकाय के अध्यक्ष-पदेन सदस्य
- (vii) जिला के जिला पदाधिकारी-सदस्य सचिव
- (viii) पुलिस अधीक्षक-सदस्य
- (ix) इसके अतिरिक्त जिला के उप विकास आयुक्त तथा सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी-पदेन सदस्य

4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिता सिंह,
 विशेष कार्य पदाधिकारी,
 अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1646-571+100-डी०टी०पी०
 Website : <https://egazette.bihar.gov.in>